

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) - जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी  
2. प्रकरण संख्या  
3. उतवान

: श्री अशोक कुमार शर्मा

: 13/2010

: 1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व सचिव, शासन सचिवालय जयपुर।

2. निदेशक पशुपालन विभाग, निदेशालय, टॉक रोड, जयपुर जरिये केश प्रमारी उपनिदेशक कुक्कुट पशुपालन विभाग जयपुर।

बनाम

श्री नन्द लाल पुत्र श्री हरियल दास निवासी प्लाट नं० 149 सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर हाल निवासी भूखण्ड सं० 29 कुक्कुट सम्पदा जामडोली आगरा रोड जयपुर।

4. निर्णय दिनांक

: 11-7-2023

5. अधिवक्तागणों का नाम

: अ) अधिवक्ता श्री कमल साहू प्रार्थी की ओर से।

ब) अधिवक्ता श्री मो. असलम अप्रार्थी की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 5 राज पब्लिक प्रमाइसेज (इवेक्सिन ऑफ अनओथोराइज्ड ओक्यूपेन्टएक्ट) 1964 नियम 1966

उपस्थापक अधिकारी एवं सहायक निदेशक, राज. कुक्कुटशाला, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 राज पब्लिक प्रमाइसेज (इवेक्सिन ऑफ अनओथोराइज्ड ओक्यूपेन्टएक्ट) 1964 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पशुपालन विभाग को 76 एकड़ भूमि जामडोली में कुक्कुट शाला के लिये राज्य सरकार द्वारा आवंटन की गई, जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया गया है, जिसका आदेश क्रमांक प०/(1)8 राज०/3/72 दिनांक 3/4/1972 एवं आदेश क्रमांक एफ-16(17)/3/73 दिनांक 21.8.1976 एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी आदेश एवं आवंटित भूमि कुक्कुट सम्पदा जामडोली के नाम जमाबंदी में है, जिसके अनुसार ग्राम जामडोली तहसील जयपुर में ख०न० 473, 474, 475, 476, 477 की 121 बीघा 16 बिस्वा भूमि का स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रार्थीगण में निहित था।

यह राजस्थान सरकार की ओर से निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा मिलयन रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कुक्कुट पालकों को कुक्कुट सम्पदा जामडोली आगरा रोड, जयपुर में कुक्कुट पालन के रोजगार हेतु सस्ती दर पर 25 वर्ष की लीज अवधि के लिये 1500-1500 वर्ग मीटर के भूखण्ड आवंटित किये गये थे।

अप्रार्थी श्री नन्द लाल के नाम भी भूखण्ड संख्या-29 जरिये आदेश क्रमांक एफ.वी. 8(19)विकास/65/5359 दिनांक 23.07.1981 आवंटित किया गया। उपरोक्त आवंटित भूमि का क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर है। प्रार्थी एवं विभाग के मध्य निष्पादित लीज डीड की शर्तों की पालना दोनों पक्षों को अक्षरशः करनी थी, दोनों पक्षों के मध्य निष्पादित लीज डीड दिनांक 23/07/1981 से 25 वर्ष की अवधि के लिये दिया गया था किन्तु लीज दिनांक 01.02.1981 को जारी हुई एवं लीज की शर्तों की अवहेलना करने पर लीज निरस्त करने का विधान स्थापित है। जिसके अनुसरण में अप्रार्थी द्वारा लीज की शर्तों की पालना नहीं करने पर लीज दिनांक 30.05.1994 को निरस्त कर दी गई थी। इसी के साथ उक्त आवंटित भूखण्ड सं० 29 की लीज अवधि दिनांक 22.07.2006 को समाप्त हो चुकी है, इसलिये आवंटित भूखण्ड का विधिक स्वामित्व एवं आधिपत्य लीज की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार में निहित हो चुका है, जिसका भौतिक कब्जा लिया जाना आवश्यक एवं विधि संगत है।

राजस्थान सरकार द्वारा जो भूमि जयपुर शहर की पैराफेरी क्षेत्रों में स्थित राजस्व भूमियों को शहरी निकायों की सुविधा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो वेस्ट लैंड भूमि आवंटित की गई थी उनकी अवधि पूर्ण होने के बाद पुनः अवधि नहीं बढ़ाने का निर्णय पारित किया गया। इस बाबत नोटिफिकेशन नं० राजस्थान सरकार के परिपत्र राजस्व विभाग प० 9 (25)/राजस्थान 6/04 दिनांक 8/2/2006 जारी किया गया। तत्पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा लीज डीड के नवीनीकरण पर रोक लगा दी गयी। उक्त आदेश राजस्व ग्रुप-6 विभाग के नोटिफिकेशन नं० एफ.9 (17) Rev VI/2007/16 जयपुर दिनांक 17/6/2008 निश्चित लीज अवधि पर आवंटित की

322  
अतिरिक्त कलक्टर  
(तृतीय) जयपुर



रूप से इस बाबत अपनी सहमति विभाग को दे दी थी तथा इसी अनुसार कोटा की कुक्कुट सम्पदा के लीज धारकों की लीज अवधि 25 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई तथा इस बाबत जयपुर नगर में जो कुक्कुट सम्पदा में लीजधारक थे, उनसे इस बाबत नीतिगत चर्चा भी चल रही थी कि लीज अवधि को 25 वर्ष हेतु बढ़ाया जाए या भूखण्डों को योजनानुसार लीजधारकों को विक्रय अथवा अन्यथा आवंटित कर दिया जाए व कब्जे को नियमित किया जाए। इस बाबत लीजधारकों की यूनियन व राज्य सरकार के मध्य चर्चा भी लंबित है। उक्त के संबंध में राज्य सरकार के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में रिट याचिका भी लंबित है। अर्जीदार लीजकर्ता द्वारा उत्तरदाता लीजधारक की लीज नियमानुसार समाप्त नहीं की गई है तथा धारा 106 टीपी एक्ट के नोटिस के अभाव में टीनेन्सी समाप्त किए बिना याचिका चलने योग्य नहीं है। संपत्ति भूखण्ड लीज अनुबन्ध के अन्तर्गत परिसर की परिभाषा में नहीं होने के कारण कार्यवाही राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि अधिनियम के तहत चलने योग्य नहीं है अपितु उक्त संपत्ति कृषि भूमि होने के कारण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व न्यायालय के तहत चलने योग्य नहीं है। प्रकरण में धारा 4 (1) के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई है जो कि न्यायानुकूल धारा 4 (2) के तहत नोटिस जारी किए जाने से पूर्व आवश्यक है। अतः याचिका अर्जीदार बाबत बेदखली विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यय सहित निरस्त की जाये।

तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान भी अप्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित रहे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौरान बहस कथन किया कि पशुपालन विभाग को 76 एकड़ भूमि जामडोली में कुक्कुट शाला के लिये राज्य सरकार द्वारा आवंटन की गई थी जिसका आदेश क्रमांक 50/(1)(8) राज0/3/72 दिनांक 3/4/1972 एवं आदेश क्रमांक एफ-16(17)/3/73 दिनांक 21.8.1976 एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी आदेश एवं आवंटित भूमि कुक्कुट सम्पदा जामडोली के नाम जमाबंदी में है, जिसके अनुसार ग्राम जामडोली तहसील जयपुर में ख0न0 473, 474, 475, 476, 477 की 121 बीघा 16 बिस्वा भूमि का स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रार्थीगण में निहित था। यह राजस्थान सरकार की ओर से निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा मिलयन रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कुक्कुट पालकों को कुक्कुट सम्पदा जामडोली आगरा रोड, जयपुर में कुक्कुट पालन के रोजगार हेतु सस्ती दर पर 25 वर्ष की लीज अवधि के लिये 1500-1500 वर्ग मीटर के भूखण्ड आवंटित किये गये थे। अप्रार्थी श्री नन्द लाल के नाम भी भूखण्ड संख्या-29 जरिये आदेश एफ.वी. 8(19)विकास/65/5359 दिनांक 23.07.1981 को आवंटित किया गया। उपरोक्त आवंटित भूमि का क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर है। प्रार्थी एवं विभाग के मध्य निष्पादित लीज डीड की शर्तों की पालना दोनों पक्षों को अक्षरशः करनी थी, दोनों पक्षों के मध्य निष्पादित लीज डीड दिनांक 23.07.1981 से 25 वर्ष की अवधि के लिये दिया गया था एवं लीज की शर्तों की अवहेलना करने पर लीज निरस्त करने का विधान स्थापित है। जिसके अनुसरण को अप्रार्थी द्वारा लीज की शर्तों की पालना नहीं करने पर लीज दिनांक 30.05.1994 को निरस्त कर दी गई थी। इसी के साथ उक्त आवंटित भूखण्ड सं0 29 की लीज अवधि दिनांक 22.07.2006 को समाप्त हो चुकी है, इसलिये आवंटित भूखण्ड का विधिक स्वामित्व एवं आधिपत्य लीज की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार में निहित हो चुका है। राजस्थान सरकार द्वारा अवधि पूर्ण होने के बाद पुनः अवधि नहीं बढ़ाने का निर्णय पारित किया गया। इस बाबत नोटिफिकेशन नं0 राजस्थान सरकार के परिपत्र राजस्व विभाग 50 9 (25)/राजस्थान 6/04 दिनांक 8/2/2006 जारी किया गया। तत्पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा लीज डीड के नवीनीकरण पर रोक लगा दी गयी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में पोल्ट्री वेलफेयर सोसायटी जयपुर बनाम राजस्थान सरकार व अन्य एस.बी. सिविल याचिका सं0 11141/2010 में निर्णय पारित कर आवंटित भूखण्डों का कब्जा सम्पदा अधिकारी को लिये जाने के लिये विधि संगत कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर सम्पदा अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर भौतिक कब्जा लेने की कार्यवाही बाबत आदेश हैं। प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड टू डेयरी, पोल्ट्री एण्ड पिगरी फार्मस रुल्स-1958 के नियम - 7 के अनुसार लीज का नवीनीकरण नहीं होने से भी आवंटित भूखण्ड भौतिक कब्जा सरकार में लिया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी श्री नन्द लाल को आवंटित भूखण्ड सं0-29 के संदर्भ में सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बचनवान श्री नन्द लाल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य वाद सं0 364/98 (253/97)में सिविल न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण कर पारित आदेश दिनांक 04/02/2003 वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जा चुका है। अतः भूखण्ड सं0 29 कुक्कुट सम्पदा जामडोली का भौतिक कब्जा विपक्षीगण के जरिये निदेशक पशुपालन को सुपूर्द किये जाने के आदेश विभाग प्रदान करें।

राजस्थान सरकार द्वारा आदेश प.2(23)/पपा/2010 दिनांक 03-08-2010 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय जयपुर को सम्पदा अधिकारी नियुक्त किया गया।




अतिरिक्त कलेक्टर  
(तृतीय) जयपुर

हमने अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन कर पाया कि राजस्थान सरकार की ओर से निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा मिलयन रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कुक्कुट पालकों को कुक्कुट सम्पदा जामडोली आगरा रोड, जयपुर में कुक्कुट पालन के रोजगार हेतु सस्ती दर पर 25 वर्ष की लीज अवधि के लिये 1500-1500 वर्ग मीटर के भूखण्ड आवंटित किये गये थे। अप्रार्थी श्री नन्द लाल के नाम भी भूखण्ड सं०-29 जरिये आदेश आवंटित किया गया। अप्रार्थी द्वारा लीज की शर्तों की पालना नहीं करने पर लीज दिनांक 30.05.1994 को निरस्त कर दी गई। साथ ही आवंटित भूखण्ड सं०-29 की लीज अवधि दिनांक 22.07.2006 को समाप्त हो चुकी है, इसलिये आवंटित भूखण्ड का विधिक स्वामित्व एवं आधिपत्य लीज की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार में निहित हो चुका है। आदेश राजस्व गुप-6 विभाग के नोटिफिकेशन नं० ए०-9 (77) Rev VI/2007/16 जयपुर दिनांक 17/6/2008 निश्चित लीज अवधि पर आवंटित की गई। भूमि की लीज अवधि नहीं बढ़ाकर भूमि वापिस राज्य सरकार द्वारा ली जाना तय किया जा चुका है। अप्रार्थी श्री नन्द लाल को आवंटित भूखण्ड सं०-29 के संदर्भ में सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बउनवान श्री नन्द लाल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य वाद सं० 364/98 (253/97) आदेश दिनांक 04/02/2003 को वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जा चुका है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की एस.बी. सिविल याचिका सं० 11141/2010 में निर्णय दिनांक 07.01.2011 में आदेश दिया है कि "However it will not preclude the respondents from taking action before the Estate Officer in accordance with law and the petitioners at the same time will also be at liberty to raise objections available to them" उक्त न्यायिक निर्णय के परिपेक्ष्य में पशुपालन विभाग द्वारा राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त एस्टेट ऑफिसर के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना आवश्यक भी है। हम पत्रावली में ऐसा कोई कथन या दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाते हैं, जिससे यह जाहिर हो कि अप्रार्थी द्वारा लीज की शर्तों की पालना की गई है या लीज आवंटन को बहाल किया गया है अथवा लीज अवधि का विस्तार किया गया है। साथ ही अप्रार्थी के कब्जे की भी पुष्टि नहीं होती है और यदि अप्रार्थी का कब्जा मान भी लिया जाये तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में शुमार होता है। ना ही यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी वैध तरीके से विवादित भूमि पर काबिज है। पत्रावली के समस्त दस्तावेजों से तथा अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा बहस में दिये गए तर्कों से यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी बिना किसी विधिक अधिकार के लीज आवंटन व अवधि समाप्त होने के बाद उक्त भूखण्ड पर अवैध रूप से काबिज है। निष्पादित लीज अवधि के 25 वर्ष दिनांक 22.07.2006 को समाप्त हो चुके हैं, उसके बाद से अप्रार्थी अनाधिकृत रूप से काबिज माना जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर जयपुर शहर की पैराफारी क्षेत्रों में स्थित राजस्व भूमियों को शहरी निकायों की सुविधा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवंटित भूमि की लीज अवधि न बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। (नोटिफिकेशन न. 9(25)/राज./6/2004/4 दिनांक 8.2.2006 तथा एफ०-9 (77) रेवेन्यू ६/2007/16 जयपुर दिनांक 17/6/2008) इन अधिसूचनाओं के जारी होने के बाद अब इन आवंटन को एवं इनकी लीज अवधि को आगे बढ़ाया जाना संभव नहीं है तथा भूमि को वापस राज्य सरकार द्वारा लिये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

ऐसी स्थिति में विवादित भूमि भूखण्ड संख्या-29 पर अप्रार्थी का कब्जा नियम विरुद्ध है तथा अप्रार्थी का कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी लीज लीज समाप्त होने के उपरान्त भी विवादित भूखण्ड पर अवैध रूप से काबिज है। दौरान प्रकरण के विचारण अप्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से यह भी पुष्ट है कि अप्रार्थी इस बाबत कोई अनुतोष अब नहीं चाहता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी को विवादित भूखण्ड संख्या-29 से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तदनुसार फॉर्म "B" में आदेश जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नंबर से कम हो।



322  
(अशोक कुमार शर्मा)  
अति. जिला कलेक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)  
जयपुर।